Report of Intellectual Property Right (IPR) Awareness Program (NIPAM)

Under the National IP Awareness Program (NIPAM) launched by Office of Controller General of Patents, Designs and Trademark (CGPDTM), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Subharti Law College in association with Internal Quality Assurance Cell, SVSU organized "**IPR Awareness Programme**" on 12th April 2022 for all the departments and colleges of the University at Maangalya Convention Centre at 11a.m.

Dr. Neeraj Karan Singh was the Master of Ceremony. Programme started with lamp lightening by the guest and dignitaries. Both the resource persons were welcomed with plant saplings. Thereafter Hon'ble VC gave the opening address. Dr. Neeraj introduced both the resource persons Ms. Nitya Tyagi (Examiner of Patent and Design) and Ms. Chhavi Garg (Examiner of Patent and Design) .

In the first session, Ms. Chhavi Garg covered what is intellectual property and discussed two areas of IPR i.e Patent and Designs. She also added that in one product there can be multiple intellectual property rights. Patent is granted for product or process. Patent protection is granted for a limited period, generally 20 years from the filing date of the application. Is a patent valid in every country? Patents are territorial rights. In general, the exclusive rights are only applicable in the country or region in which a patent has been filed and granted, in accordance with the law of that country or region. Patentability Criteria are– Novelty, Inventive step, Industrial applicability and Patentable subject matter

Registration of Patent – Filing of patent application can be two ways either manually or online. Ms. Chhavi also highlighted the point that registration fee is less for female and certain other groups. She gave the example of LED Bails being patented by Former Australian cricketer who enjoys royalty from his product.

Ms. Chhavi also covered what are Industrial Design – features of new shape, configuration, surface pattern, ornamentations and composition of lines or colours applied to articles which in the finished state appeal to and are judged solely by the eye. It must be applied to a finished article and the features can be 2- or 3-dimensional. The registration is for a duration of ten years and can be extended for up to five years. Items cannot be registered as a design was also discussed like flags, emblems or signs of any country.

Ms. Chhavi took questions from audience and answered it beautifully.

In the second session, Ms. Nitya Tyagi covered four other types of IPR i.e. trademarks, copyright, geographical indication and Semiconductor Integrated Circuits Layout. She firstly covered -What are trademarks - A trademark is any sign that individualizes the goods of a given enterprise and distinguishes them from the goods of its competitors. A trademark includes any word, name, label, logo, heading, symbol, or device, or any combination, used, or intended to be used, in commerce. The registration of a trademark is valid only for a period of 10 years. Forms of Trade mark were also discussed. Ms. Nitya also pointed out the requirement of a Trade Mark- It should be unique and distinctive. It should not mislead or confuse the public, not hurt the religious sentiments, not be obscene or vulgar, etc. She explained about trade mark search- It is very important to make a search before filing of application as trademarks are available in the area of goods and services only. She also discussed how to register your Trade Mark. She also clarified the difference between TM (™) and R (®) symbol in trademark.

Thereafter Ms. Nitya explained what are copyrights - The exclusive and assignable legal right, given to the originator for a fixed number of years, to print, publish, perform, film, or record literary, artistic, or musical material. Registration under the Copyright Act is optional and not compulsory since it come into existence as intellectual work is created. Copyright owner has right to reproduce, distribute, adapt, translate, perform and publicly display the work, etc .She also pointed out what is copyrightable matter - Literary Work including software, Dramatic work, Musical work, Artistic Work, Cinematography films, and Sound recordings. She also discussed the duration of copyright and how to register for copyright.

Next IPR discussed by Ms. Nitya was Geographical Indication - GI identifies goods that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin. Example- Basmati Rice Darjeeling Tea. The registration of a geographical indication is valid for a period of 10 years. It can be renewed from time to time for further period of 10 years each. If not renewed it is liable to be removed from the register.

And last IPR covered was Semiconductor Integrated Circuits Layout Design - Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000 provides for the protection of semiconductor integrated circuits layout-designs and for matters connected therewith or incidental thereto. The registration of a layout-design is done only for ten years w.e.f. from the date of filing an application for registration or from the date of first commercial exploitation anywhere in India or any country. Requirement for registration requires originality, non- commercialized and distinctiveness.

At last programme ended with vote of thanks which was given by Dr. Mukul Kumar, Joint Director, CRIC.

Outcome of Awareness Programme:

- Delegates could now determine what intellectual property is and what are are types?
- Now they must know the basic requirements for different types of rights.
- They are able to now understand, why to register and how to register for intellectual property.

Annexure attached are-

1. Letter of Invitation from Deputy Registrar of Copyrights, Patent Office (Delhi)
2. Letter of Invitation from Registrar, Swarmi Vivekanand Subharti University, Meerut
3. Minutes to minute of the programme
4. List of Beneficiaries of the programme
5. Pictures of the programme

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत

Ref. No.: U-07/SVSU/2022/ 1183 Dated: 06.04.2022

To,

Head of Institutions

SMC/SDC/SNC/Physiotherapy/KSCP/SITE/Polytechnic/SIL/Mgmt./HotelMgt./JMC/Fine Arts/Yoga/Education/Science/Arts & Social Sciences/Buddhist Studies

HOD *(Home Science/Lib. Science/Para-Medical Sciences)*

National Intellectual Property Awareness Mission (NIPAM)

Sir/Madam,

Department for promotion of industry and internal trade, has launched "National Intellectual Property Awareness Mission "NIPAM" under the mission, nationwide IPR Awareness programmes are being run with a view to impart IPR Awareness to one million students as IP can be an effective tool in attaining the Hon'ble Prime Minister's vision of "Atmanirbhar Bharat" .

As Quality initiative SVSU in association with National Intellectual Property Awareness Mission (NIPAM) is conducting an awareness programme on 12th April 2022 (Tuesday) at 11:00 AM at Maangalya Convention Centre. Event overall incharge is Dean-Law and Director- IQAC, as they are the nominated officers of university under NIPAM.

I am directed to request you to spare maximum possible faculty members & students to attend the National Intellectual Property Awareness Mission, informative sessions to ensure that they should be seated in the Auditorium on or before 10:45 AM sharp. **All faculty and students from Faculty of Science, Faculty of Engineering, Faculty of Pharmacy, and Faculty of Fine Arts are directed to attend the session**.

Registrar

Copy to:

1. Hon'ble Vice-Chancellor
2. Chief Executive Officer
3. Pro Vice-Chancellor
4. COE
5. Finance Officer
6. Addl. Registrar (M/G/T/NM)
7. IQAC

Registrar

NIPAM (12 April, 2022)

Venue: Maangalya Convention Centre,

Swami Vivekanand Subharti University, Meerut

Minute to Minute Programme

Master of Ceremony - Dr. Neeraj Karan Singh

1. Arrival of Guests at VC Office - 11:00 AM
2. Arrival of the Speakers and Hon'ble Vice Chancellor at Maangalya - 11:20 AM
3. Lamp Lighting - 11:30 AM to 11:35AM
4. Welcome of the Guests - 11:35 AM to 11:45 AM
5. Opening Address by Hon'ble Vice Chancellor - 11:45 AM to 11:50 AM **(List of patents and IPR in Subharti University visible on screen)**
6. Resource Person – 1 Ms. NityaTyagi Examiner of Patent and Design - 11:50 AM to 12:20PM
7. Resource Person –2 MsChhaviGargExaminer of Patent and Design - 12:20PMto 12:50 PM
8. Vote Thanks by Joint Director, Research, CRIC - 12:50PMto 12:55 PM
9. National Anthem - 12:55 PM

All the faculty members and the students are expected to be seated by 11.15 AM positively.

GLIMPSES OF THE PROGRAMME

eness Programme
tional Property Awareness Mission)
Date: 12th April, 2022
Time: 11:00 AM onwards
alya Convention Center, SVSU
In association with
rnal Quality Assurance Cell, SVSU, M
Creative India; Innovative India
NAAC

Sardar Patel Subharti Institute of Law

Recognized by Bar Council of India, New Delhi. Letter No. BCI: D: 1116:2002 (LE. Mtg.) &2429/2015 (LE)
Website: law.subharti.org, e-mail: law@subharti.org, Ph.: 0121-2439043,3055000 (Extn: 2851, 2855), Telefax: 0121-2439067
A constituent college of
SWAMI VIVEKANAND SUBHARTI UNIVERSITY
(Established under U.P. Govt. Act no. 29 of 2008 and approved under section 2(f) of UGC Act 1956)

News

Awareness workshop on 'Intellectual Property Rights' held in Subharti University, organized by Subharti Law College and IQAC.

There is a need to increase the number of registered IPR

Hindustan Hindi (Friday), Date-15.04.2022

आईपीआर की संख्या बढ़ाने की जरूरत

मेरठ। सुभारती विवि द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर हुई वर्कशॉप में वैश्विक जरूरतों का मुकाबल करने के लिए आईपीआर की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। सुभारती लॉ कॉलेज एवं आईक्यूएसी सेल के संयुक्त तत्वावधान में हुई वर्कशॉप में कुलपति मेजर जनरल डॉ. जीके थपलियाल ने कहा कि विवि नवाचार में तेजी से काम कर रहा है। नित्या त्यागी, डीन प्रो. वैभव गोयल भारतीय एवं आईक्यूएसी निदेशक डॉ. नीतू पंवार, प्रो. पिंटू मिश्रा रहे।

Sardar Patel Subharti Institute of Law & Internal Quality Assurance Cell of Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, jointly organized, workshop on "Awareness on Intellectual Property Rights"

Virat Vaibhav (Friday), Date-15.04.2022

सुभारती विवि में हुई आईपीआर जागरुकता कार्यशाला

वैभव न्यूज ■ मेरठ

आजादी के अमृत महोत्सव में स्वामी विवेकानन्द सुभारती विवि में बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। शुभारंभ विवि कुलपति मेजर जनरल डा. जीके थपलियाल ने नित्या त्यागी एवं छवि गर्ग का स्वागत कर किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नवाचारो की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है और पेटेंट, डिजाइन कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क का पंजीकरण हेतु कार्य किये जा रहे है। जिसके अंतर्गत अब तक 125 नवाचारो का पंजीकरण किया जा चुका है।

पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक छवि गर्ग ने कहा कि आईपीआर का प्रमुख उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक लाभ, साझा प्रौद्योगिकी, नवाचार और उपयोगकर्ता देशों द्वारा किए गए सर्वोत्तम नित्या त्यागी ने कहा कि बौद्धिक संपदा को दिमागी उपज कहा जाता है, इसका उपयोग आविष्कारकर्ता ही कर सकता है।

Workshop on "Awareness on Intellectual Property Rights", jointly organized by Sardar Patel Subharti Institute of Law & Internal Quality Assurance Cell of Swami Vivekanand Subharti University, Meerut.

Shah Times (Friday), Date-15.04.2022

सुभारती विवि में हुई आईपीआर जागरूकता कार्यशाला

शाह टाइम्स संवाददाता

मेरठ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के विषय पर मांगल्या प्रेक्षागृह में सुभारती लॉ कॉलिज एवं आईक्यूएसी सैल के द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का शुभारंभ सुभारती विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डा. जी.के. थपलियाल ने मुख्य वक्ता पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक नित्या त्यागी एवं छवि गर्ग का स्वागत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नवाचारो की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है और पेटेंट, डिजाइन कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क का पंजीकरण हेतु कार्य किये जा रहे है। जिसके अंतर्गत अब तक 125 नवाचारो का पंजीकरण किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि हमारे देश में पारंपरिक ज्ञान का भंडार है परंतु आमजन को पेटेंट संबधित कानून की जानकारी नहीं है। उन्होंने बौद्धिक संपति के अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन,

कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क के बारे में कहा कि वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव को देखते हुए सुभारती विश्वविद्यालय प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुभारती विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियां, शोधार्थी एवं शिक्षकों का कुशल मार्ग दर्शन करके उन्हें आईपीआर की दिशा में सशक्त बना रहा है। पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक छवि गर्ग ने कहा कि आईपीआर का प्रमुख उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक लाभ, साझा प्रौद्योगिकी, नवाचार और उपयोगकर्ता देशों द्वारा किए गए सर्वोत्तम वैश्विक प्रयासों के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। उन्होंने भविष्य में विश्वविद्यालय में आईपीआर की संख्या बढ़ाने के बारे में जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया और स्टार्ट अप और उद्यमिता के रूप में अनुसंधान परिणामों के लिए अवसर के बारे में भी जानकारी दी। उन्हांने पेटेंट, डिजाइन के बारे में जानकारी दी। पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक नित्या त्यागी ने कहा कि बौद्धिक संपदा को दिमागी उपज कहा जाता है, इसका उपयोग आविष्कारकर्ता ही कर सकता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अथवा संस्था की सृजित कोई रचना, संगीत साहित्यिक कृति, कला, खोज अथवा डिजाइन होती है, जो उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। उन्होंने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को सफलतापूर्वक करने हेतु विस्तार से जानकारी दी तथा इसके विभिन्न चरणों को समझाया। कार्यक्रम लॉ कॉलिज के डीन प्रो. डा. वैभव गोयल भारतीय एवं आईक्यूएसी निदेशक डा. नीतू पंवार के संयुक्त संयोजन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मंच का संचालन डा. नीरज कर्ण सिंह ने किया। अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन सीआरआईसी के उपनिदेशक डा. मुकुल कुमार ने दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी कॉलिज एवं विभागों के डीन, प्राचार्य एवं फैकल्टी मैम्बर तथा विद्यार्थियों व विभिन्न कमेटी के सदस्यों सहित 2000 लोग उपस्थित रहे।

Sardar Patel Subharti Institute of Law

Recognized by Bar Council of India, New Delhi. Letter No. BCI: D: 1116:2002 (LE. Mtg.) &2429/2015 (LE)
Website: law.subharti.org, e-mail: law@subharti.org, Ph.: 0121-2439043,3055000 (Extn: 2851, 2855), Telefax: 0121-2439067

A constituent college of

SWAMI VIVEKANAND SUBHARTI UNIVERSITY

(Established under U.P. Govt. Act no. 29 of 2008 and approved under section 2(f) of UGC Act 1956)

IPR awareness workshop held in Subharti University

Public Asia Bureau (Friday), Date-15.04.2022

सुभारती विश्वविद्यालय में आईपीआर जागरूकता कार्यशाला आयोजित

पब्लिक एशिया ब्यूरो

मेरठ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के विषय पर मांगल्या प्रेक्षागृह में सुभारती लॉ कॉलिज एवं आईक्यूएसी सैल के द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का शुभारंभ सुभारती विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डा. जी.के.थपलियाल ने मुख्य वक्ता पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक नित्या त्यागी एवं छवि गर्ग का स्वागत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नवाचारो की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है और पेटेंट, डिजाइन कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क का पंजीकरण हेतु कार्य किये जा रहे है। जिसके अंतर्गत अब तक 125 नवाचारो का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पारंपरिक ज्ञान का भंडार है, परन्तु आमजन को पेटेंट संबधित कानून की जानकारी नहीं है। उन्होंने बौद्धिक संपति के अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन,

कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क के बारे में कहा कि वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव को देखते हुए सुभारती विश्वविद्यालय प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुभारती विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियां, शोधार्थी एवं शिक्षकों का कुशल मार्ग दर्शन करके उन्हें आईपीआर की दिशा में सशक्त बना रहा है।

पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक छवि गर्ग ने कहा कि आईपीआर का प्रमुख उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक लाभ, साझा प्रौद्योगिकी, नवाचार और उपयोगकर्ता देशों द्वारा किए गए सर्वोत्तम वैश्विक प्रयासों के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। उन्होंने भविष्य में विश्वविद्यालय में आईपीआर की संख्या बढ़ाने के बारे में जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया और स्टार्ट अप और उद्यमिता के रूप में अनुसंधान परिणामों के लिए अवसर के बारे में भी जानकारी दी। उन्हांने पेटेंट, डिजाइन के बारे में जानकारी दी।

पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक नित्या त्यागी ने कहा कि बौद्धिक संपदा को दिमागी उपज कहा जाता है, इसका उपयोग आविष्कारकर्ता ही कर सकता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अथवा संस्था की सृजित कोई रचना, संगीत साहित्यिक कृति, कला, खोज अथवा डिजाइन होती है, जो उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। उन्होंने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को सफलतापूर्वक करने हेतु विस्तार से जानकारी दी तथा इसके विभिन्न चरणों को समझाया। कार्यक्रम लॉ कॉलिज के डीन प्रो. डा. वैभव गोयल भारतीय एवं आईक्यूएसी निदेशक डा. नीतू पंवार के संयुक्त संयोजन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

मंच का संचालन डा. नीरज कर्ण सिंह ने किया। अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन सीआरआईसी के उपनिदेशक डा. मुकुल कुमार ने दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी कॉलिज एवं विभागों के डीन, प्राचार्य एवं फैकल्टी मैम्बर तथा विद्यार्थियों व विभिन्न कमेटी के सदस्यों सहित 2000 लोग उपस्थित रहे।

Awareness workshop on 'Intellectual Property Rights' held in Subharti University, organized by Subharti Law College and IQAC.

Paschim Pukar (Friday), Date-15.04.2022

सुभारती में हुई आईपीआर जागरूकता कार्यशाला

मेरठ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के विषय पर मांगल्या प्रेक्षागृह में सुभारती लॉ

कॉलिज एवं आईक्यूएसी सैल के द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ सुभारती विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डा. जीके थपलियाल ने मुख्य वक्ता पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक नित्या त्यागी एवं छवि गर्ग का स्वागत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नवाचारो की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। पेटेंट, डिजाइन कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क का पंजीकरण हेतु कार्य किये जा रहे है। जिसके अंतर्गत अब तक 125 नवाचारो का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पारंपरिक ज्ञान का भंडार है। परन्तु आमजन को पेटेंट संबधित कानून की जानकारी नहीं है। उन्होंने बौद्धिक संपति के अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क के बारे में कहा कि वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव को देखते हुए सुभारती विश्वविद्यालय प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुभारती विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियां, शोधार्थी एवं शिक्षकों का कुशल मार्ग दर्शन करके उन्हें आईपीआर की दिशा में सशक्त बना रहा है। कार्यक्रम लॉ कॉलिज के डीन प्रो. डा. वैभव गोयल भारतीय एवं आईक्यूएसी निदेशक डा. नीतू पंवार के संयुक्त संयोजन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मंच का संचालन डा. नीरज कर्ण सिंह ने किया। अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन सीआरआईसी के उपनिदेशक डा. मुकुल कुमार ने दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी कॉलिज एवं विभागों के डीन, प्राचार्य एवं फैकल्टी मैम्बर तथा विद्यार्थियों व विभिन्न कमेटी के सदस्यों सहित 2000 लोग उपस्थित रहे।

Sardar Patel Subharti Institute of Law

Recognized by Bar Council of India, New Delhi. Letter No. BCI: D: 1116:2002 (LE. Mtg.) &2429/2015 (LE)
Website: law.subharti.org, e-mail: law@subharti.org, Ph.: 0121-2439043,3055000 (Extn: 2851, 2855), Telefax: 0121-2439067

A constituent college of

SWAMI VIVEKANAND SUBHARTI UNIVERSITY

(Established under U.P. Govt. Act no. 29 of 2008 and approved under section 2(f) of UGC Act 1956)

Awareness workshop held in Subharti University, on Intellectual Property Rights, organized by Sardar Patel Subharti Institute of Law and IQAC.

News Tracker 24 (Friday), Date-15.04.2022

April 15, 2022

NewsTracker24
Unfolding The Truth

Home About Us Contact Us

Home » सुभारती विवि में आईपीआर जागरूकता कार्यशाला

देहरादून मेरठ

सुभारती विवि में आईपीआर जागरूकता कार्यशाला

editor April 14, 2022 1 min read

सुभारती विवि में आईपीआर जागरूकता कार्यशाला, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के विषय पर मांगल्या प्रेक्षागृह में सुभारती लॉ कॉलिज एवं आईक्यूएसी सैल के द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ कुलपति मेजर जनरल डा. जी.के.थपलियाल ने मुख्य वक्ता पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक नित्या त्यागी एवं छवि गर्ग का स्वागत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नवाचारों की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है और पेटेंट, डिजाइन कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क का पंजीकरण हेतु कार्य किये जा रहे है। जिसके अंतर्गत अब तक 125 नवाचारो का पंजीकरण किया जा चुका है।

सुभारती विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियां, शोधार्थी एवं शिक्षकों का कुशल मार्ग दर्शन करके उन्हें आईपीआर की दिशा में सशक्त बना रहा है। पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक छवि गर्ग ने कहा कि आईपीआर का प्रमुख उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक लाभ, साझा प्रौद्योगिकी, नवाचार और उपयोगकर्ता देशों द्वारा किए गए सर्वोत्तम वैश्विक प्रयासों के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक नित्या त्यागी ने कहा कि बौद्धिक संपदा को दिमागी उपज कहा जाता है, इसका उपयोग आविष्कारकर्ता ही कर सकता है। कार्यक्रम लॉ कॉलिज के डीन प्रो. डा. वैभव गोयल भारतीय एवं आईक्यूएसी निदेशक डा. नीतू पंवार के संयुक्त संयोजन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। संचालन डा. नीरज कर्ण सिंह ने किया। अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन सीआरआईसी के उपनिदेशक डा. मुकुल कुमार ने दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी कॉलिज एवं विभागों के डीन, प्राचार्य एवं फैकल्टी मैम्बर तथा विद्यार्थियों व विभिन्न कमेटी के सदस्यों सहित 2000 लोग उपस्थित रहे।

https://newstracker24.in/subharti-vv-m-ipr-jagrukta-karyashalla/

Sardar Patel Subharti Institute of Law & Internal Quality Assurance Cell of Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, jointly organized, workshop on "Awareness on Intellectual Property Rights"

Lohia Kranti (Friday), Date-15.04.2022

सुभारती विश्वविद्यालय में हुई आईपीआर जागरूकता कार्यशाला

मेरठ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के विषय पर मांगल्या प्रेक्षागृह में सुभारती लॉ कॉलिज एवं आईक्यूएसी सैल के द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।कार्यशाला का शुभारंभ सुभारती विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डा. जी.के.थपलियाल ने मुख्य वक्ता पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक नित्या त्यागी एवं छवि गर्ग का स्वागत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नवाचारो की में जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया और स्टार्ट अप और उद्यमिता के रूप में अनुसंधान परिणामों के लिए अवसर के बारे में भी जानकारी दी। उन्हांने पेटेंट, डिजाइन के बारे में जानकारी दी।पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक नित्या त्यागी ने कहा कि बौद्धिक संपदा को दिमागी उपज कहा जाता है, इसका उपयोग आविष्कारकर्ता ही कर सकता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अथवा संस्था की सृजित कोई रचना, संगीत साहित्यिक कृति, कला, खोज अथवा डिजाइन होती है, जो उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। उन्होंने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को सफलतापूर्वक करने हेतु विस्तार से जानकारी दी तथा इसके विभिन्न चरणों को समझाया।कार्यक्रम लॉ कॉलिज के डीन प्रो. डा. वैभव गोयल भारतीय एवं आईक्यूएसी निदेशक

दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है और पेटेंट, डिजाइन कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क का पंजीकरण हेतु कार्य किये जा रहे है। जिसके अंतर्गत अब तक 125 नवाचारो का पंजीकरण किया जा चुका है।उन्होंने कहा कि हमारे देश में पारंपरिक ज्ञान का भंडार है, परन्तु आमजन को पेटेंट संबधित कानून की जानकारी नहीं है। उन्होंने बौद्धिक संपति के अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क के बारे में कहा कि वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव को देखते हुए सुभारती विश्वविद्यालय प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुभारती विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियां, शोधार्थी एवं शिक्षकों का कुशल मार्ग दर्शन करके उन्हें आईपीआर की दिशा में सशक्त बना रहा है।पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक छवि गर्ग ने कहा कि आईपीआर का प्रमुख उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक लाभ, साझा प्रौद्योगिकी, नवाचार और उपयोगकर्ता देशों द्वारा किए गए सर्वोत्तम वैश्विक प्रयासों के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। उन्होंने भविष्य में विश्वविद्यालय में आईपीआर की संख्या बढाने के बारे डा. नीतू पंवार के संयुक्त संयोजन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मंच का संचालन डा. नीरज कर्ण सिंह ने किया। अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन सीआरआईसी के उपनिदेशक डा. मुकुल कुमार ने दिया।इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी कॉलिज एवं विभागों के डीन, प्राचार्य एवं फैकल्टी मैम्बर तथा विद्यार्थियों व विभिन्न कमेटी के सदस्यों सहित 2000 लोग उपस्थित रहे।

Workshop on 'Intellectual Property Rights' held in Subharti University, organized by Subharti Law College and IQAC.

Divya Vishwas (Friday), Date-15.04.2022

सुभारती विश्वविद्यालय में आईपीआर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

दिव्य विश्वास संवाददाता

मेरठ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के विषय पर मांगल्या प्रेक्षागृह में सुभारती लॉ कॉलिज एवं आईक्यूएसी सैल के द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का शुभारंभ सुभारती विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डा. जी.के.थपलियाल ने मुख्य वक्ता पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक नित्या त्यागी एवं छवि गर्ग का स्वागत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नवाचारों की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है और पेटेंट, डिजाइन कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क का पंजीकरण हेतु कार्य किये जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत अब तक 125 नवाचारो का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पारंपरिक ज्ञान का भंडार है, परन्तु आमजन को पेटेंट संबधित कानून की जानकारी नहीं है। उन्होंने बौद्धिक संपति के अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क के बारे में कहा कि वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव को देखते हुए सुभारती विश्वविद्यालय प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुभारती विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियां, शोधार्थी एवं शिक्षकों का कुशल मार्ग दर्शन करके उन्हें आईपीआर की दिशा में सशक्त बना रहा है। पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक छवि गर्ग ने कहा कि आईपीआर का प्रमुख उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक लाभ, साझा प्रौद्योगिकी, नवाचार और उपयोगकर्ता देशों द्वारा किए गए सर्वोत्तम वैश्विक प्रयासों के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। उन्होंने भविष्य में विश्वविद्यालय में आईपीआर की संख्या बढ़ाने के बारे में जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया और स्टार्ट अप और उद्यमिता के रूप में अनुसंधान परिणामों के लिए अवसर के बारे में भी जानकारी दी। उन्हांने पेटेंट, डिजाइन के बारे में जानकारी दी।

फोटोः दिव्य विश्वास

Workshop held on "Awareness on Intellectual Property Rights", jointly organized by Sardar Patel Subharti Institute of Law & Internal Quality Assurance Cell of Swami Vivekanand Subharti University, Meerut.

Buland Sandesh (Friday), Date-15.04.2022

सुभारती विश्वविद्यालय में हुई आईपीआर जागरूकता कार्यशाला

बुलन्द संदेश संवाददाता

मेरठ (जावेद अब्बासी)। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के विषय पर मांगल्या प्रेक्षागृह में सुभारती लॉ कॉलिज एवं आईक्यूएसी सैल के द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।कार्यशाला का शुभारंभ सुभारती विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डा. जी.के.थपलियाल ने मुख्य वक्ता पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक नित्या त्यागी एवं छवि गर्ग का स्वागत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नवाचारो की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है और पेटेंट, डिजाइन कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क का पंजीकरण हेतु कार्य किये जा रहे है। जिसके अंतर्गत अब तक 125 नवाचारो का पंजीकरण किया जा चुका है।उन्होंने कहा कि हमारे देश में पारंपरिक ज्ञान का भंडार है, परन्तु आमजन को पेटेंट संबधित कानून की जानकारी नहीं है। उन्होंने बौद्धिक संपति के अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क के बारे में कहा कि वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव को देखते हुए सुभारती विश्वविद्यालय प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुभारती विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियां, शोधार्थी एवं शिक्षकों का कुशल मार्ग दर्शन करके उन्हें आईपीआर की दिशा में सशक्त बना रहा है।पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक छवि गर्ग ने कहा कि आईपीआर का प्रमुख उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक लाभ, साझा प्रौद्योगिकी, नवाचार और उपयोगकर्ता देशों द्वारा किए गए सर्वोत्तम वैश्विक प्रयासों के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। उन्होंने भविष्य में विश्वविद्यालय में आईपीआर की संख्या बढ़ाने के बारे में जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया और स्टार्ट अप और उद्यमिता के रूप में अनुसंधान परिणामों के लिए अवसर के बारे में भी जानकारी दी। उन्हांने पेटेंट, डिजाइन के बारे में जानकारी दी।पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक नित्या त्यागी ने कहा कि बौद्धिक संपदा को दिमागी उपज कहा जाता है, इसका उपयोग आविष्कारकर्ता ही कर सकता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अथवा संस्था की सृजित कोई रचना, संगीत साहित्यिक कृति, कला, खोज अथवा डिजाइन होती है, जो उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। उन्होंने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को सफलतापूर्वक करने हेतु विस्तार से जानकारी दी तथा इसके विभिन्न चरणों को समझाया।कार्यक्रम लॉ कॉलिज के डीन प्रो. डा. वैभव गोयल भारतीय एवं आईक्यूएसी निदेशक डा. नीतू पंवार के संयुक्त संयोजन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।मंच का संचालन डा. नीरज कर्ण सिंह ने किया। अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन सीआरआईसी के उपनिदेशक डा. मुकुल कुमार ने दिया।

Sardar Patel Subharti Institute of Law & Internal Quality Assurance Cell of Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, jointly organized, workshop on "Awareness on Intellectual Property Rights"

Amar Bharti (Friday), Date-15.04.2022

सुभारती विश्वविद्यालय में हुई आईपीआर जागरूकता कार्यशाला

अमर भारती संवाददाता

मेरठ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के विषय पर मांगल्या प्रेक्षागृह में सुभारती लॉ कॉलिज एवं आईक्यूएसी सैल के द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ सुभारती विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डा. जी.के.थपलियाल ने मुख्य वक्ता पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक नित्या त्यागी एवं छवि गर्ग का स्वागत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नवाचारो की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है और पेटेंट, डिजाइन कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क का पंजीकरण हेतु कार्य किये जा रहे है। जिसके अंतर्गत अब तक 125 नवाचारो का पंजीकरण किया जा चुका है। पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षक छवि गर्ग ने कहा कि आईपीआर का प्रमुख उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक लाभ, साझा प्रौद्योगिकी, नवाचार और उपयोगकर्ता देशों द्वारा किए गए सर्वोत्तम वैश्विक प्रयासों के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। कार्यक्रम लॉ कॉलिज के डीन प्रो. डा. वैभव गोयल भारतीय एवं आईक्यूएसी निदेशक डा. नीतू पंवार के संयुक्त संयोजन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

मंच का संचालन डा. नीरज कर्ण सिंह ने किया।

अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन सीआरआईसी के उपनिदेशक डा. मुकुल कुमार ने दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी कॉलिज एवं विभागों के डीन, प्राचार्य एवं फैकल्टी मैम्बर तथा विद्यार्थियों व विभिन्न कमेटी के सदस्यों सहित 2000 लोग उपस्थित रहे।